कार्यालय प्रधानाचार्य, एस0एन0 मेडिकल कॉलेज, आगरा।

Phone No: 0562-2260353, 2463880 Fax No: 0562-2260965
Website: www.snmcagra.in E-Mail: deansnmc@yahoo.in

संख्याः ई0सी0–1/विज्ञप्ति/2022/66 दिनांकः 22/03/2022

–सेवायोजन विज्ञप्ति–

उ0प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, लखनऊ के शासनादेश संख्याः 4661/71–1–08–जी–63/2008, दिनांक 15.12.2008 पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्याः एम0ई0–2/2015/1916, दिनांक 21.09.2015 एवं समय–समय पर पारित अन्य संविदा शासनादेशों के क्रम में निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, लखनऊ के माध्यम से इस कार्यालय के विज्ञप्ति संख्याः ई0सी0–1/विज्ञप्ति/2021/205, दिनांक 25.03.2021 के द्वारा हिन्दी दैनिक सामाचार पत्रों में सेवायोजन विज्ञप्ति प्रकाशित किये जाने के क्रम में इस चिकित्सा महाविद्यालय के विभिन्न विशिष्टताओं में आचार्यो, सह–आचार्यो तथा सहायक आचार्यो के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु साक्षात्कार (वॉक–इन–इन्टरव्यू) **दिनांक 26 मार्च, 2022 (शनिवार) तथा तदोपरान्त प्रत्येक शनिवार (कार्यदिवस)** को शैक्षिणिक ब्लॉक (एस0पी0एम0 विभाग), एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा के एल0टी0–3 में **प्रातः 11 बजे से सायं 01 बजे** के मध्य सम्पन्न किये जायेंगें।

उक्त संविदारत पदों पर चयन की प्रक्रिया प्रधानाचार्य/चयन समिति की संस्तुति के आधार पर अन्तिम चयन उ0प्र0 शासन/महानिदेशालय, लखनऊ के स्तर से पूर्ण की जायेगी। रिक्त पदों को समय–समय पर आरक्षण हेतु जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा। पदों की संख्या घटाई–बढाई जा सकती है। रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है–

S. N.	Department	Professor				Associate Professor				Assistant Professor			
		GEN	OBC	SC	EWS	GEN	OBC	SC	EWS	GEN	OBC	SC	EWS
1.	Orthopaedics	-	1#	-	-	-	1	-	-	1	-	1*	-
2.	Emergency Medicine	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3.	Anesthesia	-	-	1#	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Anatomy	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
5.	Oto-Rhino-Laryngology (ENT)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
6.	Community Medicine (SPM)	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1
7.	Cardiology+	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Cardio-Vascular & Thoracic Surgery+	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
9.	Critical Care (ICU) (Medicine/Anesthesia)+	1	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-
10.	General Medicine	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	1
11.	Transfusion Medicine	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
12.	Dermatology, Venereology & Leprosy	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
13.	Neurology+	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Neuro Surgery+	-	1+1#	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
15.	Nuclear Medicine	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Paediatrics	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	1	1
17.	Pharmacology	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
18.	Physiology	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
19.	Forensic Medicine	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
20.	Uro Surgery+	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
21.	Biochemistry	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
22.	Medical Gastroenterology+	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-
23.	Radio-Diagnosis	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1
24.	Surgical Gastroenterology+	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Psychiatry	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	TOTAL	05	07	05	01	06	10	03	02	06	09	09	04

1. *अस्थि रोग विशिष्टता में सहायक आचार्य (अनुसूचित जाति श्रेणी) का पद पी0एम0आर0 विशिष्टता में सृजित है।
2. #उक्त पद ट्रोमा सेन्टर हेतु सृजित है।
3. +उक्त विशिष्टता के पद पी0एम0एस0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत सुपर स्पेशियलिटी हेतु सृजित है।
4. इस चिकित्सा महाविद्यालय में एन0एम0सी0 मानकों को पूर्ण किये जाने के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार एनेस्थीसिया एवं दन्त रोग विभाग में सह–आचार्य के पद हेतु अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया जा सकता है।

इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह National Medical commission/Medical Council of India, Minimum Qualification for Teachers as per Medical Institutions Regulations, 2022 Dated-14.02.2022 and National Medical commission Latter no. NMC/34(41)/2021/Med.Misc./047068, Dated-20.12.2021 के मानको के अनुसार अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों एवं शैक्षिक/जाति/अनुभव/शोध/आधार कार्ड/पैन कार्ड पत्रों की (स्व–प्रमाणित) छायाप्रति संलग्न कर 01 सेट एवं 01 पासपोर्ट फोटों सहित साक्षात्कार स्थल पर उपस्थित हों। इस यात्रा हेतु किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा।

उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण लागू हो जाने के कारण संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत् हैः–

1. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले चिकित्सा शिक्षकों को शासनादेश संख्याः 104/2019/5044(1)271–1–2019–जी–63/2008, दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियत वेतन (रू0 135000/–आचार्यो, रू0 120000/–सह–आचार्यो एवं रू0 90000/–सहायक आचार्यो) प्रतिमाह देय होगा।
2. वेतन के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते, बोनस एवं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नही होगा।
3. चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता एवं शैक्षिक अनुभव उ0प्र0 राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली नियमावली 2022 में निहित के अनुसार होगी। (**Saving Clause-** Notwithstanding anything contained in these Regulations, any appointment made under the Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998 or the recommendation of Councils prior to that, shall be protected.)
4. चिकित्सा शिक्षकों की संविदा पर अधिकतम आयु सीमा सहायक आचार्य–60 वर्ष, सह–आचार्य–64 वर्ष एवं आचार्य–68 वर्ष वाले ही अभ्यर्थी अभ्यर्थन कर सकते है।
5. ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नही करेगें।
6. प्राइवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
7. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्व चिकित्सालय में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा डयूटी उपलब्ध रहना होगा।
8. संविदा पर नियुक्त/कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती/स्थानान्तरण के माध्यम से नियमित चिकित्सा शिक्षक के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी समाप्त की जा सकती है।
9. ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल 01 वर्ष का होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात् लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर सेवाका पुनः बढाया जा सकता है।
10. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। उक्त कालावधि में कार्यभार न ग्रहण करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी।
11. संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षक भविष्य में विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण के लिए हकदार नही होगा।
12. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेगें कि "उनके विरूद्व माननीय न्यायलय में कोई आपराधिक वाद प्रचलित नही है और यदि उनके विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवाये समाप्त कर दी जायेगी"।

(प्रधानाचार्य)

संख्या एव दिनांक तद्

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. कुलसचिव, उत्तर प्रदेश आर्युविज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ/कानपुर/झॉसी/प्रयागराज/गोरखपुर/आजमगढ/अम्बेडकरनगर/जालौन/कन्नौज/सहारनपुर/बॉदा/बदॉयू को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को कॉलेज नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने की कृपा करें।
6. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या/बहराईच/बस्ती/फिरोजाबाद/शाहजहॉपुर/प्रतापगढ/एटा/मिर्जापुर/सिद्वार्थनगर/हरदोई/गाजीपुर/फतेहपुर/देवरिया/जौनपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को कॉलेज नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने की कृपा करें।
7. एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा के नोटिस बोर्ड हेतु।

(प्रधानाचार्य)